

North Carolina Department of Commerce Division of Employment Security

Unemployment Insurance



Check Reissued Claimant Cashed Original

मेल की तारीख: 24 फरवरी 2017

दावेदार की आईडी: 1234567

Susan Doe 888 North 10th Street Siler Clty, NC 27344

रोजगार सुरक्षा विभाग (DES) ने आपके बेरोजगारी बीमा के दावे के लिए लेखापरीक्षा आयोजित की और निर्धारित किया कि आपने एक ऐसे एफ़िडेविट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया था कि आपको समाप्ति सप्ताह 1 जनवरी, 2001 के लिए अपना लाभ चेक #784397-2385 नहीं मिला। नतीजतन, आपको \$867.98 की राशि का एक चेक फिर से जारी किया गया था। हालांकि, यह निर्धारित किया गया था कि आपको 1 जनवरी, 2001 समाप्ति सप्ताह के लिए भुगतान प्राप्त हुआ था।

भुगतान को दुबारा जारी करने के परिणामस्वरूप \$867.98 की राशि में अधिक लाभ का भुगतान ह्आ है।

N.C. जनरल स्टेट. § 96-18(g)(2) के अनुसार अधिक भुगतान की शेष राशि DES को चुकाई जानी चाहिए। विभाग की वेबसाइट पर des.nc.gov वीजा या मास्टरकार्ड द्वारा या चेक या मनी ऑर्डर द्वारा द्बारा इन्हें भृगतान किया जा सकता है:

रोजगार स्रक्षा का NC विभाग

प्रत्येक चेक या मनी ऑर्डर पर अपना नाम और आपके सामाजिक सुरक्षा नंबर के अंतिम चार अंक शामिल करें और भुगतान इस

पते पर मेल करें: North Carolina Division of Employment Security

Benefits Integrity Post Office Box 25903 Raleigh, NC 27611-5903

आपके अधिक भुगतान की शेष राशि को चुकाने के लिए DES के साथ भुगतान समझौता किया जा सकता है। भुगतान समझौते के बारे में सहायता प्राप्त करने के लिए आप विभाग के लाभ एकाग्रता अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं।

अपील अधिकार: इस निर्णय को अंतिम माना जायेगा जब तक कि ऊपर सूचीबद्ध अपील अधिकार समाप्ति तिथि तक कोई अपील दायर नहीं की जाती। इस निर्णय पर अपील करने संबंधी जानकारी संलग्न पत्रिका में शामिल की गई है।

अधिक भगतान की वसूली

N.C. जनरल स्टेट § 96-18(g)(3) के अनुसार, विभाग निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से एक या अधिक से भुगतान की वसूली कर सकता है:

कर-समंजन

विभाग फेडरल टैक्स रिफंड, स्टेट टैक्स रिफंड या लॉटरी विंनिंस के माध्यम से वसूली कर सकता है।.

लाभ समंजन

भविष्य में आपको दिये जाने वाले किसी भी लाभ से को काट कर अधिक भुगतान वसूल किया सकता है। आपके साप्ताहिक लाभ राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत घटाया जा सकता है जब तक कि अधिक भुगतान पूरा ना हो जाये या जब तक कि आप का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता, जो भी पहले हो।



सिविल कार्यवाही

अधिक भुगतान की राशि को विभाग के नाम पर नागरिक कार्यवाही द्वारा एकत्र किया जा सकता है और इस तरह की कार्यवाही की लागत का बिल आपको भेजा जायेगा।.

संपत्ति ग्रहणाधिकार

अगर नोटिस के 30 दिनों के भीतर अधिक भुगतान को चुकाया नहीं जाता है, तो विभाग काउंटी के कोर्ट के लिपिक को उस बारे में प्रमाणित कर सकता है जिसमें आप निवास करते हैं या अपनी संपत्ति रखते हैं, और किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कोई निर्णय जो कि आपके पास है वह डॉकेट किया जाएगा।

अधिक भ्गतान की छूट

जैसा कि एन.सी. जनरल स्टेट § 96-4(w) में दिया गया है, विभाग एक वैध कारण देने पर पूरे या आंशिक रूप से किसी भी अधिक भुगतान को जो कि गैर-धोखाधड़ी के लिए निर्धारित हो, माफ़ कर सकता है। आप केवल एक बार इस अधिक भुगतान की छूट का अनुरोध कर सकते हैं। आपका अनुरोध लिखित में होना चाहिए और आपके द्वारा आधार(रों) के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और आपका अनुरोध सभी प्रमाण या दस्तावेजों के साथ समर्थित होना चाहिए। विभाग द्वारा एक याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा, जबिक अधिक भुगतान की वजह से आने वाला निर्णय अपील के अधीन है। जब छूट के लिए अनुरोध किया जाता है, तब अपील दर्ज करने का अधिकार खत्म हो जाता है। याचिका प्रस्तुत करने का विषय और प्रक्रिया DES नियम 04 NCAC 24B .0701, .0702 और .0703 द्वारा संचालित होता है, जो विभाग की वेबसाइट des.nc.gov पर उपलब्ध हैं।

NC BI 42 Page 2 of 2